



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

1 CHAITRA 1947 (S)

No. 141

RANCHI SATURDAY 22ND MARCH, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
22nd March, 2025

Notification No.- 07/2024 – State Tax(Rate)

S.O. No. 3, Dated 22nd March, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, number 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,
 - (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”.

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 10th day of October, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2024]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification number 11/2017 -State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification number 12/2023- State Tax (Rate), dated the 05th March, 2024, published in the Gazette of Jharkhand *vide* S.O. No. 59, dated the 05th March, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 मार्च, 2025

अधिसूचना सं०. 07/2024- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 3, दिनांक 22 मार्च, 2025 -- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप- धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्यकर विभाग- की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2024]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य- कर विभाग।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 05 मार्च, 2024, जिसे एस. ओ. सं. 59, दिनांक 05 मार्च, 2024 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
